हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसचना

THEST Shram(A)4-1/2024

রা গ্রিমা

शिमला-2 1. कवि

12.9 . 2024

工任(0)

हिसाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की शक्त मज़दूरी की न्यूनतम दर्शे को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 हारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई 辑:

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सदेय न्यूनतम मजयूरी ने बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नंशोधित न्युनतम मजद्री 01.04.2024 से लाग् होगी।

अतः हिमाचल प्रतेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियन की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अनुभल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से 400 रूपए प्रतिदिन या 12,000 रूपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं-

# टिप्पणी-

समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई मिन्नता नहीं होगी।

शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी । जहाँ किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस दर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए

विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

हिंसाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दशें से पव्यीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अक्टराल की परिनाधा निम्न प्रकार है होगी -

(i) अकुराल अकुराल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वासावरण से परिचित रोना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या गाल से भी परिश्रित होना अपेशित है ।

आवेश द्वारा,

वियंका बास् ईंगरी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2

1309,2024

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सविव (विवि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रजान निजि समिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश I

विरष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

e निदेशक लेकर व्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 तमस्त विमागाध्यक डिमाचल प्रदेश ।

🗜 अभायुक्त एवं निर्देशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या 🚜 E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में 1

अ समस्त उपायुक्त हिमाबल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाधल प्रदेश सरकार

# (2)

### हिमाचल प्रदेश संस्कार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसूचना

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमला-2

23.q. 2024

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई / (कशिंग) के अनुसूचित नियोजन के क्यूप्रांत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदरी की न्युनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की झारा 9 के साथ पठित झारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय निया गया है कि मंशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04. 2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.—

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अक्शल कर्मकारः	रुपए	रुपए
भिशती / चिमनी क्लीनर / चौकीदार / डिस्टेम्परर ग्रेड- । । / गलेजियर / पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर / रोक कटिंग लेबर / स्टोन <u>वेकर / स्टोन</u> <u>चिस्लर / स्वीपर /</u> बिटुमन के लिए स्प्रे	400	12000
मैन/पाइप लाईन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्योरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एव रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/		
ब्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल ) /खलासी (0 से 3 साल ) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।		
अर्धकुशल कर्मकारः	रूपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेंड-।। / मैसन ग्रेंड-।। / स्यूअर मैन / ब्लैक रिमध ग्रेंड-।। / सैनिटरी फिटर ग्रेंड-।। / पेन्टर/मैल्टर मेट / स्प्रे-मैन रोडज / केन-मैन /बंघाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटेन्डेन्ट / ब्लैक रिमध (बॉट मैन ) / केन-मैन / डिस्टेम्परर ग्रेंड-।/फिटर ग्रेंड-।।	425	12,750
फलोर-पालिशर/ / स्टोन ड्रेसर /माली / विल-सिंकर / वहाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड—।। टर्नर-ग्रेड।। / पाइप फिटर ग्रेड—।। / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलंडर / सहायक दर्नर/ बैटरी चार्जर / डैसर (अर्हित/अनुमवी) /हैमरमैन/कुक / वल्कनाईजर/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली आपरेटर / एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन		
/ हैल्पर (5 साल और इससे अधिक )/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैंड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी ( 3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रैसर / पम्प-एटैन्डेन्ट /औटा इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-।। / गार्डनर / गेज-शेंडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट /औटो		
इलैकिट्रशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन-डैशर		
स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-क्रेशर	½ इंच से 2 इ	्च इंच

% इंच से 2 इंच 2372 रुपए प्रति सौ धन फुट 1 इंच से 1% इंच रुपये 2646 रुपए प्रति सौ धन फुट

#### कुशल कामगारः

कारपेन्टर ग्रेड— । / मैसन ग्रेड— । / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड—। /अप-होलसल्टर ग्रेड— । / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प झाइवर / चार्जमैन ग्रेड.—। । / जाम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर झाइवर / वर्जी या टेलर ग्रेड— । / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर झाइवर / वर्जी या टेलर ग्रेड— । /वर्जी या टेलर ग्रेड—। / कशर झाइवर / अलकारिक कार्य के लिए स्टोन—ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड—। /पाईप फिटर ग्रेड—।/आटो झाइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर झाइवर

24.

ψ.

464

13,920



(1)

₹.

/ मिक्सर-आपरेटर / सरचानात्मक फिटर ग्रेड—।। / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-झड़वर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / क्षिण प्लांट फिटर / (बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर / शाफ्रट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सकेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / कंन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन झिलआपरेटर / वोरिग-आपरेटर / एस.एल.डी. कंन आपरेटर / वी.) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / व्लेक स्मिध्य / टिन स्मिध्य / ट्रेक्टरीन वैटरी चार्जर / लाइनमेन टेलीफोन आपरेटर/खलासी / जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर झिलर / विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइनबर / मोल्डर /लेविलरज साँ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड—।। /खलासी ( 8 साल से अधिक ) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रीकर शोबेल आपरेटर / रनो कटर आपरेटर / लोको-आपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए झिलर गैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रेक्टर झाइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।।।

#### उच्च कुशल

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड—। / चार्ज मैन ग्रेड—। / वर्कशाप 553 16,590 फोरमैन ग्रेड—। / टर्नर ग्रेड—। / मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड—। / सर्वेयर / ड्राफटसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित ) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर/ वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन / इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।

#### लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः

बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / 464 13,920 स्टोर-मुशी / सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैम्डेन्ट / फैरो-प्रिंटर / झाइवर ( जीप / कार / ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

## टिप्पणी-ः

 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनसम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है. तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

सुरगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुश्लेय होगी।

गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमाणिधीन हाईड्री इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न

प्रवगों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी/लागू होगी।

7. हिमाचल प्रदेश के अनुस्वित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वित है. जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विमिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्श के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के



(1

उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्सव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड). शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल

कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पूर्ववेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन). हिमाचल प्रदेश सरकार

23.64. 2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत संरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

# हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसूचना

(3)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09, 2024

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों कि 01 04 2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की घारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04 2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें सगरत उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की घारा 5 की उपघारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.—

# सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दपतरी

400 रुपए प्रतिदिन 1

12000 रूपए

प्रतिमास

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल )

400 रुपए प्रतिदिन

12000 रूपए प्रतिमास

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।

अर्ध-कुशल

415 रूपए

12450 रुपए

प्रतिदिन

प्रतिमास

- 1. सहायक इलैकिट्रशियन
- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर
- सहायक ब्लैक रिमध
- सहायक कारपेंटर
- सहायक वैरुडर
- 7. सहायक टर्नर
- सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट
- 10. सहायक कशन-मेकर
- 11. सहायक बोल्केनाइजर
- 12. सहायक पेंटर
- 13. सहायक अपहोलस्टर
- 14. सहायक टायरमैन
- 15. सहायक स्प्रेमेन
- 16. सहायक इलैकिट्शियन मकैनिक
- 17. सहायक रिटीडर
- 18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो बर्ष की परिबीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आईoटीoआईo का डिप्लोमा न हो
- 19. सहायक मोल्डर ।



मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, रू 453 प्रतिदिन या कशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पंटर, इलेक्ट्रिशयन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवेक्षरा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेंड में कार्यरत है ।

रु. 13,590 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैंड मकौनिक, कारबोरेटर / हैंड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर। 💮 रू० 503 प्रतिदिन या

रु. 15090 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

गुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे रू० 453 प्रतिदिन या युक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर ) लैजर कीपर, पट्टोल पम्प अटन्डेन्ट ।

रु. 13590 प्रतिमास

गुप-बीः

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन रू 477 प्रतिदिन या सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेंड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक रु. 14310 प्रतिमास

ग्रुप-सीः

हैड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रू० 562 प्रतिदिन रु. 16860 प्रतिमास

रंगिग-स्टाफः

1 ड्राइवर

रू० 508 प्रतिदिन रु.15240 प्रतिमास

2 कन्डकटर

रू० 464 प्रतिदिन रु. 13920 प्रतिमास

3 कलीनर कम कन्डकटर

रू० 434 प्रतिदिन रु. 13020 प्रतिमास

4 पार्ट टाइम बुकिंग वर्लक

रू० 278 प्रतिदिन रु. 8340 प्रतिमास



- (7)
- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1981(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूस्चित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है. तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागूं होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी यह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यत: रोजमर्श के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्श के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

पियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.9. 2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला-2

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 बरिष्ट बिशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- B निदेशक लेबर ब्यूरो भारत संरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- असमस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

# हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसूचना

संख्या: Shram(A)4-1/2024

शिमला-2 तारीख

23.09,2024

4 दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरें 🗫 01.04.2024 से संशोधित किया जाए, न्युनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धी के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी.

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंशोधित न्यनतम मजदरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की घारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

# कर्मचारियों का प्रवर्ग

प्रसविधा जहां भोजन, चाय, और कोई उपलब्ध नहीं करवाई गई संयुक्त आवास, सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

क्शल: हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टैंट / पल्लेदार / चौकीदार / रू० 400 प्रतिदिन चपडासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / रूपए 12000 मासिक क्लीनर / पैकर/ मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / वलाकरूम अटेंडेन्ट /पोर्टर/मिश्ती / ग्रेलदार / फायरमैन / पाडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रुपए 371 प्रतिदिन रुपए 11130 मासिक

#### अर्घक्शल :

हैंडपोर्टर/ पैंटरीमैन / काफी टीमेंकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट / दिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिटैंट-हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग ओक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर सहायक-इलैविट्रशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवांइडर / वेटर / वेयरर / ऐसिसटैंट रेडियो मकैनिक / पेंटर /व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलकं / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट / 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र सर्टफिकेट धारक।

कः 423 प्रतिदिन तथा रुः 12690 प्रतिमाह रु० 413 प्रतिदिन तथा रु० 12390 प्रतिमाह



स्तेक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर /सहायक रूठ टेलर/कटर(टेलरिंग)/ स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक/ रूठ1 हलवाई कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / बटलर फिटर / ड्राफटसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / इाइवलीनर / ब्रायर / बारबर /रंगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट )/ मुनोन / रिसंपशनिस्ट / वेटर / वियरर स्टोर-कीपर / हैंड वेटर / हैंड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल )/ लाइनमैन आईठटीठआईठ प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेंड में कार्य कर रहे हों।

रु० 464 प्रतिदिन रुपए 427 प्रतिदिन रु०13920 मासिक रुपए 12810 मासिक

## उच्च-कुशलः

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार / मुख्य कः 483 प्रतिदिन खजानवी / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / कः14490 मासिक हैड-कन्फैक्शनर /हैड-मकैनिक / इलैकट्टीशियन / फोरमैन / सपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) । रु० ४४७ प्रतिदिन रु० 13410 मासिक

#### टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संवत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/कच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु खतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्श के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्श के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी हैं जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें यह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

An

(0)

 (iv) उच्च-कुशल उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.69,2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमला-2

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- e निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 I
- 7 समस्त विभागाच्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एव निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार



# हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसूचना

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख.

शिमला–2 5. वानिकी उद्योग e\*

22.84,2024

रुपए 17490

रुपए 583

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रयागों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गईं थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ीतरी को अनुमोदित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय निया गया है कि मंशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्तः अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	न्यूनतम मजदूरी
		दैनिक	मासिक
	अकुशल कर्मकार		
1	वृक्षों का गिराना	रुपए 400	रुपए 12000
	1 लेबर (छांगी)	रुपए 423	रुपए 12690
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 409	रुपए 12270
2	लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 409	रुपए 12270
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 503	रुपए 15090
	3. ब्लैकस्मिथ	₹पए 473	रुपए 14190
3	बुलान, ढेरी लगाना और भारिरीक श्रम द्वारा इमारती ल	कड़ी का हस्तांतरणः	
	1. दुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 409	रुपए 12270
	<ol> <li>इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।</li> </ol>	रुपए 409	रुपए 12270
	2 के महाम स्वर्का वर्ग सावना जार कमारन वर्ग राज्य नव्युद्दा	V1 403	713 12275
4	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की बुलाई:		
	<ol> <li>स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर</li> </ol>	रुपए 503	रुपए 15090
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190
5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), र दुलाई:	गाला बहान और दरिया	बहान और (रिवर फलोटिंग) हारा
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 539	रुपए 16170
	2. বান্ধ	रुपए 517	रुपए 15510
	<ol> <li>असिसटैंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)</li> </ol>	रुपए 483	रुपए 14490
	- 4. दरियामैन	रुपए 517	रुपए 15510
	s. घालू	रुपए 440	रुपए 13200
	6. जमादा <del>र</del>	रुपए 440	रुपए 13200
6	यत्रींकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:		
	1. सर्वेयर	रुपए 506	रुपए 15180
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 473	रुपए 14190
	3 ट्रक झाइवर	रुपए 443	रुपए 13290
	4. कम्प्रेशर ड्राइयर	रुपए ४४३	रुपए 13290
7	क्लैरिकल स्टाफ :		



1. मैनेजर

	2 एकाउन्टैंट	रुपए 4	149	रुपए	13470
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट वलर्क	रुपए 4	109	रुपए	12270
В	सॉ मिल वर्कर :				
	1.वेंड सॉ मिस्त्री	रुपए 4	173	रुपए	14190
	2 सुपरवाइजर	रुपए 4	167	रुपए	14010
	3.हैंड मिस्त्री	रुपए 4	173	रुपए	14190
	4.बॉयलर डाइवर	रुपए 4	173	रुपए	14190
	5.एसिसटैंट मिस्त्री	रुपए 4	115	पृथक	12450
	६.पलेनर मिस्त्री	रुपए 4	115	रुपए	12450
	7.हैल्पर	रुपए 4	109	रुपए	12270
	8.कटर मैन	रुपए 4	109	क्रपए	12270
9	कत्था निकासी :				
	1. फैलर तथा चिप्पर	रुपए 4	109	रुपए	12270
	<ol> <li>कत्था सुपरवाईजर/कत्था प्रौसेसर</li> </ol>	रुपए 4	109	रुपए	12270
	2 370 (7/11)				

#### उच्च क्शल

वीयलर एटेण्डन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर हेडकोस्मैन

रुपए 553 दैनिक रुपए 16590 मासिक

# टिप्पणी-:

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल / अर्द्ध - कुशल / कुशल / उच्च - कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्यलित है. जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियाँ से परिचित होनाआवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्डन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv)उच्च-क्शलः उच्च-क्शल कमकार वह कमेकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार 23-09,2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमला-2

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत संरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 श्रमायुक्त एवं निर्देशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

# हिमाचल प्रदेश सरकार अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिस्चना



संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला-2 इसायन एवं रासायनिक उत्पाद

23.64.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'रसायन और रसायनिक उत्पादों' के अनुस्थित नियोजन के अन्तर्गत अकशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबन मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को D1.04.2024 से संशोधित किया जाए

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की घार: 9 के साथ पठित घारा 5 की उपघारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी.

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था। और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजद्री 01 04 2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम दरें

दैनिक

मासिक

रूपए 400

रूपए 12000

अर्घकुशलः

अक्शलः

दैनिक

मासिक

रूपए रूपए

एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, 413 एसिसटेट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीयेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-। मशीन लेवलर, सलैक्टर,कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर,हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

क्शलः

दैनिक मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ख्लैकरिमथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिटेंट-फोरभैन, हैंड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेंड-। वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईंजन ढ्राइवर, ढ्राफटसमैन, एसिस्टॅंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक ), सेल्ज मैन, रिसंप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई०टी०आई० प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

रूपए

464

रूपए 13920

दैनिक

मिसक

उच्च-कशलः

बॉयलर अटॅडैट (प्रथम श्रेणी ) ओवर सीयर, हैंड फोरमैन ।

क्रमण

स्ट्राप्

553 16590

#### िटपणीः

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
  - शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1561(1961 का संख्यांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।

- . जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखन वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमायल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम यर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वितित है. जिसमें कम अनुमव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुमव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्टन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्श के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

2309,2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024

रीखः शिमला-

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- श्रमायुक्त एवं निर्देशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार (is

# हिमाचल प्रदेश सरकार अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसूचना



संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीख शिमला-2 7. इंजीनियरिंग उद्योग 23.69.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01,04,2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-П तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेव न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय निया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04 2024 से लागू होगी।

अत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल	400	12000
अर्घकुरालः		
टेपर ग्रेंड-111, टर्नर ग्रेंड- 111, ड्रिलर ग्रेंड- 111, शेंड- 111, शेंडर मैन ग्रेंड-111, मशीनमैन,मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेंड-111, ब्रजर ग्रेंड- 111, हैंड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेंड- 111, ग्रेंस आपरेटर ग्रेंड- 111, प्रेंस आपरेटर ग्रेंड- 111, प्रेंस आपरेटर ग्रेंड- 111, प्रेंस आपरेटर ग्रेंड- 111, प्रेंस कटर, टेलर ग्रेंड- 111, मैटिरियल चैंकर, फ्रेंम फिटर,नम्बरिंग मैन, फ्रेंम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेंड- 111, मोपर ग्रेंड- 111,ग्राइंडर ग्रेंड- 111, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैंड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेंड- 111, श्रेंड/ रोलर आपरेटर ग्रेंड- 111, बुक स्कृप मशीन आपरेटर ग्रेंड- 111, फीडर ग्रेंड- 111, डाइमेंकर ग्रेंड- 111, वैंट्डर ग्रेंड- 111, टिनस्मिथ ग्रेंड- 111, पाइपरींडर, हेमरमेन ग्रेंड- 111, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेंड- 111,बाउंचर इन्सपैक्टर ग्रेंड- 111, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेंड 111, ऑयलमैन।	रूपए 413	रूपए 12390
<b>कुशल</b> ः		
टेपर ग्रेड— ।।.टर्नर ग्रेड— ।।. ड्रिलर ग्रेड—।।. शेपर ग्रेड—।।. शेपर मैन ग्रेड— ।।.स्लाटरमैन ग्रेड— ।।. मकैनिस्ट आपरेटर/ब्रजर ग्रेड—।।.लाईनर ग्रेड—।।.स्प्रे पैन्टर ग्रेड—।।. ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड—।।.प्रेस आपरेटर ग्रेड—।। . असैम्बलर ग्रेड—।।.टेलर ग्रेड—।।.इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड—।।. मोपर	रूपए	रूपए
ग्रेड—11,ग्राईंडर ग्रेड—11, हिंदमशीन आपरेटर ग्रेड—11,बुक स्कर्यू मशीन आपरेटर ग्रेड—11,ग्रेल्ड द्वा मशीन आपरेटर ग्रेड—11, फिटर ग्रेड—11, कारपेंटर /पैट रन मेकर ग्रेड—11, ढाईमेकर ग्रेड—11, साइस्टर ग्रेड—11, वैल्डर ग्रेड—11, टिनस्म्थि ग्रेड—11, हैमरमैन ग्रेड—11, व्लेकस्मिथ ग्रेड—11, टूलसैटर ग्रेड—11, ईलैकट्रिक्त लाईनमैन ग्रेड—11, इंलेकट्रिक्त लाईनमैन ग्रेड—11, व्लेकस्मिथ ग्रेड—11, त्रूलसैटर ग्रेड—11, केंबल ज्वाईटर ग्रेड—11, वाऊचर इन्वेक्टर ग्रेड—11, क्रिक्ट खेड—11, वाऊचर इन्वेक्टर ग्रेड—11, लिस्टर खेजल इजन झाईवर ग्रेड—11, मोल्डर ग्रेड—11,सुपरवाईजर आई०टी० आई० ग्रमाण पत्र घारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।	464	13920
उच्च-कुशल		
टर्नर ग्रेड—। ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड—।, शेपर मैन ग्रेड—। सलाटरमैन ग्रेड—।, मिलर ग्रेड—।, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड—।, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड—।,फिटर ग्रेड—।, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड—।,डाईमेकर ग्रेड—।,एलोवर ग्रेड—।, दलैकस्मिथ ग्रेड—।,डाईमैटर ग्रेड—।,टूल सैटर	रूपए 553	रूपए 16590

An

ग्रेड-।इलैक्ट्रिशयन ग्रेड-।।



# टिप्पणी:--

 एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यक्त या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1981 का संख्यांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।

- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अक्शल/अर्द्ध-क्शल/क्शल/उच्च-क्शल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित्त होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहीं महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्सव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च कुशल उच्च कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला-2

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.69,2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः 1 समस्त प्रशासनिक संविव हिमाचल प्रदेश संस्कार शिमला।

2 अतिरिवत एल.आर एवं अतिरिवत सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ध्यूरो भारत सरकार शिमला-4 1
- 7 समस्त विभागाच्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

# हिभावल प्रदेश सरकार श्रम रोजागर रुठ विदेशो नियोजन विभाग अधिसूचना



संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

22.09,2024

8.चाय दागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दशें को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के सत्थ पंतित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II वारीन्ड 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी.

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमादित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 में लागू होगी।

अत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं—

#### कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करनें, खाद देनें, छायावरण (शेंड रूपए रूपए लापिंग) के लिए, निराई, कांट –छांट करनें, गुडाई करनें, तुड़ाई आदि के कार्क अकुशल 400 दैनिक मासिक

ए—ग्रेंड पत्तियां—यदि पत्तियां का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 29 रूपए प्रतिकिली, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में निलेंगे।

बी ग्रेंड पत्तियां—यदि पतियां का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है, तो उसे 22 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेंड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 18 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 17 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तौड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमश चाय पत्तियों के -ए, वी व सी ग्रेड के लिए 29 रूपए, 22 रूपए और 17 रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

#### अर्दकशलः

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 407 रूपए प्रतिदिन, 12210 रूपए प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना

रूपए 400 दैनिक और रूपए 12000 मासिक

इसमें लिपट मज़दूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मज़दूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिफटेंग मज़दूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी खाएज, सार्टज, टी-मेकर्ज टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

प्लाटेशन

रूपए 400 रूपए दैनिक रूपए 12000 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बनीचा असिस्टेंट, मोहरीजं इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

# क्लेरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

लेखाकार रूपए 611 प्रतिदिन रूपए 18330 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।

लिपिक रूपए 464 प्रतिदिन रूपए 13920 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।

मुन्शी रूपए 487 प्रतिदिन रूपए 14610 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुद्धेय हैं।

 चपरासी / रूपए 407 प्रतिदिन रूपए 12210 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुक्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुब्रेय हैं। चौकीदार / चौधरी

Am

गासिक	(19
रूपए 17010	

		-30.0	
5.	कम्पात-हर	रूपए 567	रूपए 17010
6	डाइचर (जीप/कार/ट्रैक्टर )	रूपए 508	रुपए 15240
7	मकनिक	रूपए 571	रूपए 17130
8.	असिसटेन्ट मकॅनिक	रूपए 506	रूपए 15180
9.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -।	रूपए 571	रूपए 17130
10.	इलॅक्ट्रीशियन-कम-मकॅनिक ग्रेड -।।	रूपए 506	रूपए 15180
4 766 (			

#### टिप्पणी

 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यक्त या अव्यक्त की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2 शिक्सों की मजदूरी, शिक्ष अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांच 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।

3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4 यदि अनुस्चित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अक्शल / अर्द्ध-कुशल / की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रन (प्रयास) के अलावा उसकी विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्ध-जुराल अर्ध-जुराल कर्मकार यह कर्मकार है, जो सामान्यत रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुरालता की मुख्य अपेक्षा मही हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके सामेप अल्प (भीमित) कार्यों के उचित निवर्तन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस

शिमला-2

प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजनर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

#### आदेश हारा,

प्रियंका बासु इँगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्या Shram(A)4-1/2024 तारीख समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एलआर एव अतिरिक्त सचिव (विवि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

उ प्रधान निजि सर्विय माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाञ्चल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेवर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 I
- ७ समस्त विभागाः यक्ष हिमाचल प्रवेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निर्देशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त तपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अगर सिंह)

उप सचिव (अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) डिमाचल प्रदेश सरकार डिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग आयमूबन



संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09.2024

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिमाशित विनिर्माण प्रकिया सहित स्थापना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'कारखाना अधिनियम, 1948' की घारा—2 के खण्ड—ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रकिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए,

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साध पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी

उक्त समिति की बैठक तारीख 26-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोवतः अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.—

अकुशल कर्मकार अर्द--कुशल कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ) रूपए 400 प्रतिदिन या रूपए 12000 प्रतिमास रूपए 412 प्रतिदिन या रूपए 12360 प्रतिमास रूपए 464 प्रतिदिन या रूपए 13920 प्रतिमास

उच्च कुशल

रूपए 553 प्रतिदिन या रूपए 16590 प्रतिमास

#### टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ाँतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/क्य-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशलः— अकुशल कर्मवारी वह कर्मवारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अत उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार यह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्श के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की नुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिद्या के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

Au

- (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिन्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेंड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (21)
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सक

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विवेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.69, 2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीख

STREET-

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाच्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

# हिभाचल प्रदेश सरकार अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसचना

संस्था: Shram(A)4-1/2024

हिमला-2 तारीख: 10. ਜੀਟਲ और ਵੈਸਟੀਵਿਟ

23.09,2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'होटल और रैस्टोरेंट' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत असुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबल मजदरी की न्युनतम दशें को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्युनतम मजदरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के लाथ पितत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.14.2025 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 का हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधिन न्युनतम मजदुरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोकतः अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

# संशोधित मजद्री

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रस्विधा जहां संयुक्त और खाना,चाय आदि की चपलब्धनहीं करवाई गर्ड है प्रस्विधा उपलब्ध करवाई गई है 2

#### अक्रुशनः 1.

रूपए 400 दैनिक

रूपए 371 दैनिक

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी /स्वीपर /मसालची /मेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकक्तम अटैंडेंट '/ पोटर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन

रूपए 12000

मासिक

रूपए 11130 मासिक

/ पांढी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो अवस्थल श्रेणी

का कार्य करता हो ।

#### आर्यकशल कर्मकार

पॅट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन /सहायक वेकर / रूपए 423 प्रतिदिन कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / स्टिचर / रूलिंग रूपए 12690 कटिंग / ऑवशनर / माली / होटल गाईंड / असिस्टेंट मिस्त्री मासिक / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर/ असिस्टेंट वैल्डर/ असिस्टेंट ईलैक्ट्रीशयन/ असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रेसमैन / बॉयलरमैन/फिल्म रिवाईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर/पकौंडा और चना नेकर/कलर्क (नॉनमैट्रिक )/ असिस्टेंट स्टोर कीपर असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ आई0टी0आई0 प्रमाण घारक, जो अन्य देंड में कार्यरत है ।

रूपए 388 प्रतिदिन रूपए 11640 मासिक

#### क्शल कर्मकार

ब्राइवर / हलवाई / जुक/ कन्फैक्शनर / बेकर/ रूपए 464 दैनिक स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफटसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रू० 13920 मासिक रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वेयरर/ स्टोर कीपर / हैंड वेटर / हैंड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल ) आई०टी०आई० प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रूपए 427 दैनिक **2**, 12810 मासिक



स्टोर कीपर / वलर्क (ग्रेजुएट ) /अकाउटेंट / हैंड रू. 483 दैनिक खजानची / हैड-क्क / हैड-बटलर / हैड-बेकर / २०० ८००० मासिक हैंड-कन्फेक्शनर /हैंड-मकेनिक / इलैंकट्रीशियन फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) टिप्पणी:

क. 447 दैनिक रू.13410 मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्वांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वक) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर सं कम नहीं होगी।
- यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्नकारों से किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की क्शलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदरी संदत्त नहीं की जाएगी!
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन (i) अन्तर्यक्षित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यहापि उपजीविकाजन्य परिस्थितियाँ से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शाशीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार तह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्श के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो (ii) जिनमें उससे निर्णय, क्शलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंप गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कायों के उचित निवर्हन की उससे अपक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- कुशल कुशल कर्मधारी यह कर्मधारी है जो विधारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में (iii) सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यो का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दसलापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला-2

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास् ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार 23.09,2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त् एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश संस्कार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव नाननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिभाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

असमस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश। 10 गार्ड फाईल।

> अवर सचिव (अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

(अमर सिंह)

(29)

# तिमाधल प्रदेश सरकार अम राजगर एवं विवेशी नियोजन विभाग अधिस्ताना

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख

शास्त्र-2 १९ किले शैथिकिक संस्थान 23.09,2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'रिज़ों सैक्षिणिक संस्थानों' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अक्शल और कर्मकारों के अन्य प्रदर्गों की बाबत मुजदूरी की न्यूनतन दशें की 01.04.2024 से संशोधित किया जाए.

न्यूनतम मतदूरी अधिनियम,1948 की भारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख 28-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुनादित किया गया था। और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 में लागू होनी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.—

अकुशल कर्मकार अर्द्ध-कुशल कुशल चच्च कुशल रु० ४०० प्रतिदिन या रु० १२००० प्रतिमाह रु० ४२३ प्रतिदिन या रु० १२६९० प्रतिमाह रु० ४६४ प्रतिदिन या रु० १३५२० प्रतिमाह रु० ४६३ प्रतिदिन या रु० १४५९० प्रतिमाह


# टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई मिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस तर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विष्ठित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित हीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी सदस्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पब्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

# अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिमाशा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अत. उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कृशल अर्द्ध-कृशल कर्मकार यह कर्नकार है, जो सामान्यत रोजमर्स के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कृशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्टन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों का करने तक ही सीमित रहेगा।





(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार 🖰 जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण प्रश्वेसण कर नार्व

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या Shram(A)4-1/2024

शिमला-2

23.69, 2024

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रयान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री डिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

8 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत संरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

९ समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एतं विदेशी नियोजन) रिमाचल प्रदेश सरकार

Es,

संख्याः Shram(A)4-1/2024

-181

तारीख

जिम्मा-१

23.09.2024

# 12 हाइड्रा विध्त परियोजनाएं

हिमायल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएँ के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अक्शल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्युनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम. 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-96-2024 को डुई थो जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लामू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अक्शल कर्मकार

न्यूनतम

मजदूरी मासिक

दैनिक

₹5,400

₹,12000

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्युआर क्रीन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोबर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, औटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर अटेन्डेट, टीएम अटेन्डेट, कन्कीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन डेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पूजारी का सहायक, कलीनर -कम-बेलदार,वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक. मसालची, एअर कन्डीशनॉंग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्घ-कुशल कर्मकार :--

विनष्ठ पम्प ऑपरेटर, किनष्ठ कन्कीट पम्प ऑपरेटर, किनष्ठ जंडब्स्यूआर क्रेन रू.425 ऑपरेटर, किनष्ठ प्लांट ऑपरेटर, किनष्ठ नोजलमैन, किनष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, किनष्ठ कन्कीटिंग प्लांट ऑपरेटर, किनष्ठ लोडर ऑपरेटर, किनष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, किनष्ठ केनिष्ठ केनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, किनष्ठ वेल्डर, किनष्ठ फिटर, किनष्ठ टायर फिटर, किनष्ठ पेन्टर, किनष्ठ पलम्बर,किनष्ठ डेन्टर, किनष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) किनष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेप्ट, जनेरेटर अटेन्डेट, लोकोमोटिर अटैन्डेप्ट, कन्कीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन इंसर, लेबोटरी सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, किनष्ठ डीजल इंन्जन फिटर, किनष्ठ

₹5. 12750

An

27

पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेंट कनिष्ट ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ रक्षेपर पुजारी, साधयक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्सी, कम्पलेंट अटैन्डेण्ट, कनिष्ठ इलेक्ट्रिशियन, मार्टी ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, यांचेंग क्लाट ऑपरेटर, क्रिशंग क.464 ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी केन ऑपरेटर, क्रि टन चन्द्र ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेन्गॉक / जन्मी ऑपरेटर, मेकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ब्रिलर, नोजल गैन,फिटड, स्टील क्रिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, औटो इलॉक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन प्रलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लाट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर, क्रेम्स इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल गुपरवाईजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइडो केन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रेप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, क्रिशंग प्रन्य ऑपरेटर, मोटर वाईडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टीर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कर्म्यटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुमद), और धोबी ।

₹,13920

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :--

विष्ठ कंन ऑपरेटर, विष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, विष्ठ हैलर ऑपरेटर, विष्ठ हेवी अध्यापित मशीन ऑपरेटर, विष्ठ डोजर ऑपरेटर, विष्ठ लंडर ऑपरेटर, विष्ठ हेवी अध्यापित मशीन ऑपरेटर, विष्ठ डोजर ऑपरेटर, विष्ठ लंडर ऑपरेटर, विष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, विष्ठ कारपेन्टर, विष्ठ डोजर ऑपरेटर, विष्ठ हिलर, विष्ठ लोडार, विष्ठ इलिविट्रशियन, विष्ठ बार बाईन्डर, विष्ठ ओटो इलिविट्रशियन, विष्ठ फिटर, विष्ठ देल्डर, विष्ठ डेन्टर, वालक, (भारी परिवहन यान), टावर केन ऑपरेटर, विष्ठ जेल्डर एक्सरे, केवल ज्वाईटर, विष्ठ ब्लास्टर, 40 टन इम्पर ऑपरेटर, विष्ठ जन्मो ऑपरेटर, फोरमैन, यनमैन, विर्घ्ठ ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशींप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (६ वर्ष से अधिक का अनुमव)।

₹6,16590

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. बदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संवत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरगो के अन्वर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की भ्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ाँतरी अनुक्रेय होगी।
- ठ. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्री विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवेगों की मजदरी न्यूनतम दर में पळीस प्रतिशत से अधिक बढ़ीतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीण हाडड्रो विश्वत परियोजनओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत वदौतरी लागु होगी।

Aug



	कामगार का तर्ग	म्जदूरी की न्यूनलम तर (प्रतिदिन) (रु०)	गैर-आदिवासी केंद्रों में स्थित निर्माणाधीन उटले किंदुर परियोजनाओं में 25% गृहि की सरीकार्याण (प्रतिदिन) (केंद्र)	कॉलम मस्या ३ न4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (१७०)	कॉलम संख्या ६ के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 26 % सुरग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (७०)	न्यूनलम् मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रू०)
(ক)	अकुशल	400	100	500	100	600
(ख)	अर्थ-कुशल	425	106	531	106	637
(ग)	कुशल	464	116	380	116	696
(되)	अस्यधिक—कुसल	553	138	591	138	829

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यां। उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिश्रंत होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार यह कर्मकार है, जो सामान्यतः राजमर्श के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्य (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्ग के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
  - (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार दह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सिवाव (श्रम रोजगार एवं विवेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार 27,04,2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिनला-2

समस्त प्रशासनिक सिंवव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सिंवव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमायल प्रदेश :

5 वरिष्ट विशेष निजी संविध मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल ।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) तिमाचल प्रदेश सरकार

# हमावस प्रदेश सरका श्रम रोजगार एवं दिवशी नियोजन विभाग अधिल्चना

संख्या: Shram(A)4-1/2024

निमला--2 13. फार्मास्युटिकल उद्योग

23.4. 2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह शरा है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की वाबत मजदूरी ही न्यूनार एसे को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए,

न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की सारा 9 के साथ पिठित धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीतः 24.64/2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 की हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ीतरी को अनुमादित किया गया था और भरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधिन न्युननम मजद्री 01.04.2024 से लाग् होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की घारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजबूरी को लारोड़ा 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--कर्मकारों के प्रवर्ग

अक्शल कर्मकार

न्यूनतम

मजद्री

देनिक

मासिक

पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हेल्पर, हाउस कीपींग

丙.12000

हैल्पर चपशसी. ।

अर्ध-क्शल कर्मकार :-

तकनीशियन (डीo फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेर्नाटेनेन्स (आईटीआई),

vs. 12390

पीडब्लयू ऑपरेटर माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर,

एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट,।

क्शल कर्मकार :-

ऑफिसर (वी फार्मा), टैक्नीवल सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), रू.484

₹,13920

ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयुटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च क्शल कर्मकार -

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड रू.553

₹,16590

सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बीo कार्ना, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी

कैमिस्ट और स्टेनो ग्राकर ।

#### टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी यर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रथम को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रधर्म को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी लागू होगी।

# अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-



- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारा है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या पद्मिप उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यत रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता को मुख्य अपेका नहीं है किन्तु उसे लीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेका है व्यार जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्श के कार्यों को क्रंपने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो क्विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदानी से भालन कर सके। वह व्यवसाय (देख), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं दिस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार वै जो कार्य की ब्रेसतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

**प्रियंका बासु ईंगटी** सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या Shram(A)4-1/2024

लारीख:

शिमला-2

23-09. 2024

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- बरिष्ट निजी सचिव गाननीय अम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमायल प्रदेश।
- ६ निदेशक लेबर ब्युरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमावल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (अम शेजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

### हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजनार एव विदेशी नियोजन विभाग अधिसूचना

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख

ाशमला-2

23.09, 2024

# 14. अस्पताल / निर्शंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह शय है कि "अस्पताल/ निसंग होम और क्लीनिक"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अक्शल और कर्मकारों के अन्य प्रथमों की बाहत गजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जार

न्युनतम मजदरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिस्थना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 वारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार दारा यह निर्णय निया गया है कि संशोधित न्यनतम मजदरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और संयुक्त उपलब्ध नहीं करवाई आवास सुविधा उपलब्ध करवाई

गई है

गई है

अक्शल कर्मकार:-

हैत्वर, कलीनर, चौकीदार,/ वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय रू. 400 दैनिक ₹.371

आफिस ब्वाय और मसालची।

रू.12000 मासिक

रू.11130 मासिक

अर्थ- क्शल कर्मकार :-

कलीनिक अटेन्डेट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, रू.423 दैनिक स्वीपर् ऑपरेशन थियेटर असीस्टेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर रू.12690 मौसिक असीसटेन्ट स्टोर मुन्ती, कम्पलेन्ट अटेन्डेट, वार्ड ब्याय /वार्ड

रू.387 दैनिक क.11610 मासिक

कुशल कर्मकार :-

अटेन्डेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)

रिसॅपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, रू. 484 दैनिक एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेंड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो रू.13020 मासिक ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डाकंकम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट, बालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफैकशनिस्ट स्टोर कीपर एकाउन्टस क्लर्क, वलकं, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर

फ.427 दैनिक रू.12810 मासिक

सर्विस)।

उच्च कुराल कर्मकार:— स्टाफ नसं. सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशयम, वरिष्ठ क.483 दैनिक तकनीशियम, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, स्.14490 मासिक एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर।

रू.447 दैनिक रू.13410 मासिक

#### टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के किए पुरुष था महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संबयोक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कान (पील ठक) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशालता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अक्शल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिमाशा इस प्रकार डोगी:--
- (i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यहापि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशल अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, औं सामान्यतः रोजमर्थ के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंधे गए कर्तब्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्डन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्थ के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
  - (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सकें।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

13 09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2 १ समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय अम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर व्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के सदर्भ में ।

8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार 2017

# हिनाचल प्रदेश सरकार श्रम राजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसुखना



संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमता-2 15, घरेल कामगार 2309 + 2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की थड़ भग है कि प्यरेलू कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी का न्यूनतन रहें हो ा अ 2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा २ ये साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारीख 24 04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

स्वत समिति की बैठक तारीख 20-06-2924 को हुई थे. ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुसीदेत किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय निया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 में नागू होगी।

अत. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04. €024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं.—

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कहां प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

अक्शल कर्मकार:-

हेल्पर आया. क्लीनर, मसालची, वींच मैन, वींशर मैन ।

रू. 400 दैनिक

रू. 338 दैनिक

क्र.12000 मासिक

रू. 10140 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी गार्ड, माली ।

रू.423 देनिक

रू 351 दैनिक

रू.12690 मासिक

रू. 10530 मासिक

क्शल कर्मकार :-

क्क और चालक

फ.464 दैनिक

रू.373 मासिक

रू.13920 मासिक

**स्त.11190** मासिक

#### टिप्पणी:

- एक डी प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का सख्यांक 52) के अन्तंगत विनियमित की जाएगी।
- जड़ों किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजबूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मलारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वॉर्णेत नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदात नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध—कुशल/कुशल/कच्च—कुशल की परिभाशत इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वेलित है, जिसमें कम अनुभव अपिक्षत है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आयश्यक है

Am

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहें हैं। अनः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिधित होन्ट अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कम्कार है, जो आमानात रोजमरों के निश्चित स्वरुप के कार्य कस्ता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की गुरवा अपका नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कलंब्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्धन की उससे अपका है और पहाँ पहत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्श के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल कुशल कर्मवारी वह कर्मधारी है का विदारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। यह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत झान रखाता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण वर्षविकाण कर राजे।

आदेश द्वारा,

पियंका बासु ईंगटी सचिय (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09,2024

संख्या Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश संस्कार शिनला।


- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रवेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 बरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमार्चल प्रदेश।
- 5 निदेशक लेक्स ब्यूरो भारत संस्कार शिनला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को तनके पत्र संख्या L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाद्मल प्रदेश सरकार

•

(319)



(35)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारोख

विमिला-2

23.09,2024

# सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह तय है कि 'सफाई कर्मचारी नियोजन' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मलदूरी की जूनतम दशों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा ९ 🕏 लाख पठिस धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के

अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा न्यूननम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी.

उक्त समिति की बैठक तारीख 28-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदिश किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय निया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से नागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त आंधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्नकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:-

#### कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:	र्दं निक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमेन। अर्ध- कुशल कर्मकार:	₹9.400	ਲ.12000
वर्क सुपरवाईजर, संनेटरी जमादाए, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्हीं और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।	₹,413	₹.12390
कुशल कर्मकार:- चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कॅशियर।	₹7.464	₹.13920
उच्च कुशल कर्मकार — कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर और स्टेनो ग्राफर।	₹5.553	জ. 16590

#### टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई मिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजवूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1981 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्ख-कुशल/कुशल/कुशल/कुशल/कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षेत है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

Any

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभय अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी पारेणित हाना अपेक्षित है।

- अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो समान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो (ii) जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सींप गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्षन की उससे भयेश है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजनरों के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्थतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तथ्यों का जिम्मेटारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेंड), शिल्प था उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल (iv) कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके :

आदेश द्वारा,

वियंका बास ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन). हिमाचल प्रदेश सरकार

2 2.09, 2024

संस्थाः Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिगला-2

। समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 !
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निर्देशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- अ समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

#### हिनाचल प्रदेश सरकार अस रोजनल एवं विदेशी नियोजन विभाग अधिसुचना



संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिनलः-2 17. सुरक्षा सेवार् 23.69, 2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाए" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 को धारा ४ के साथ पठित घारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारांख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-35-2024 की हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूबित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में उडीतर्र को अनुनोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय निया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 में लागू होगी।


अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04:2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है—

कर्मकारों के प्रवर्ग		
अक्शल कर्मकार:-	न्यूनतम	मजदूरी
	वैनिक	मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	फ,400	₹.12000
अर्घ-कृशल कर्मकार:-		
सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टांर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट। कुशल कर्मकार:-	₩.413	₹5.12390
सिक्योरिटी सुपरवाईजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर,अकाउन्टस क्लक, क्लक, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर । उच्च कुशल कर्मकार :	₹ 464	₹.13920
सिक्योरिटी ऑफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	₹6,553	₩, 16590
टिप्पणी:-		

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई मिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- सुरंगों के अन्तर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुक्रेय होगी।
- गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यश्त कर्मकारों के विनिन्न प्रवंगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढाँतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणावीण हाइड्रो बिधुत परियोजनओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढाँतरी लागु होगी।



### अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-



- अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह क्षिनेकार है जो सामान्यत रोजमर्श के निश्चित स्वकप के कार्य करता हो (ii) जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की. उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिचि के रोजमरों के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में (iii) सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल (iv) कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश हारा.

प्रियका बासू ईगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

2-3.09,2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

। समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिनाचल प्रदेश ।

- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश |
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- ह निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- असमस्त उपायक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

### हिमावल इंडर संस्कार धम शतकार एवं विदेशी नियोजन विभाग

आध्यम् चन्त

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख

20730-2

2-7, 49,2024

### 18. मन्दिर और घार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं

हिमाबल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं' के अनुस्थित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की दाबत मतदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा ९ जे साध प्रतित जारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 वारीख 24.04.2022 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 28-04-2924 का वुई की जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुनादित हिंग्या गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्युनतम मजद्री 01.04.2024 से लाग् होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वीयत अधिनियम की धारी-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजनूत्र को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:--

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई

जहां मोजन,चाय और संयुक्त स्विधा आवास

करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :-चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रू. 400 देनिक

रू.371 दैनिक

क. 12000 मासिक

रू.11130 मासिक

अर्ध-क्षल कर्मकार

चपाती मैन, स्वीपर, रूम बाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल रू.423 दैनिक अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, रू.12690 मासिक

रु.413 दैनिक

स.12390 मासिक

माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

क्शल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, रू.464 दैनिक मौलवी,ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, अकाउन्टम वलर्क, वलर्क, कम्पयूटर रू.13920 मासिक रू. 427 दैनिक

ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च क्शल कर्मकार:-

सुपरवाईजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक स्टेनो ग्राफर स.483 दैनिक रू.14490 मासिक रू.12810 मासिक

रू.447 दैनिक फ.13410 मासिक

टिप्पणी:-

और अकाउन्टेन्ट,

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के लार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को नाजानुषाती कान (पील गर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजबूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।



- 4 यदि अनुस्चित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग का विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतन ५२ से पस्तीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल को परिभाशा इस प्रकार डोगी:-
- अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मधार्थ 🦫 👙 कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन (i) अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या पद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से थी परिचित हाना अपेक्षित है।
- अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्नकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो (ii) जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण मिर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मधारी है जो विधारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सहम (iii) हों और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्ययसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत झान रखता हो।
- उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्नकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षन हो और जो कुशल (iv) कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पूर्ववेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन). हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09 2024

संख्या Shram(A)4-1/2024

शिमला-2

तारीख 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश संस्कार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश संस्कार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश !

- 4 वरिष्ट निजी सचिए माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सविव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 8 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश−171001 को उनके पत्र संख्याः €&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार

#### हिमाजल प्रदेश सरकार श्रम शेक्ष्मार एत विदशी नियोजन विभाग अधिसूचना

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीख.

शिमला-2

23.09, 2024

### 19. टोल टंक्स वैरिअरों में कार्यरत कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राज है कि "टोल टेक्स **वैरिअरों"** में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवरों की शबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1940 की धारा 9 के साथ पठित घारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारोख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-86-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारी के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमादित किया गया था और मरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से नागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोवत अधिनियम की घारा-5 की उपघारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से मिम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार — न्यूनतम दैनिक
 चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची । रू.400

अर्घ-कुशल कर्मकार :-

कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गाउँ और रू.413 प्रतिदिन रू.12390 प्रतिमाह कम्पलेन्ट अटैन्डैट ।

कुशल कर्मकार :--

इलैक्ट्रिशयन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, ढाटा एन्ट्री फ.464 प्रतिदिन फ.13920 प्रतिमाह ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सुपरवाईजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनी ग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

क.553 प्रतिदिन

फ.16590

प्रतिमाह

मजद्री

मासिक रू.12000

#### टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यक्क या अव्यक्त की न्यूनतम मजदूरी में कोई मिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विडित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में प्रव्यीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अक्शल/अर्द्ध-क्शल/क्शल/उच्च-क्राल की परिमाशा इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या बद्यापे उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है



(42)

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुसव अपेक्षिर वर्श है। उत उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से की वरिष्यर विचा अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कमकार है, जो सामान्यतः रोजमरों के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपक्षा गई। हैं किन्तु उसे सीथे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहंन की उससे अपेक्षा है और जारी महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित प्रिशिध के रोजमरों के कार्यों की करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी यह कर्मचारी है जो विकारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का किन्मेदार से पालन कर्न सके। वह व्यवसाय (द्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत होन स्वता औ।
- (iv) उच्च-कुरालः उच्च-कुराल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मवारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09, 2024

संख्या Shram(A)4-1/2024 तारीख शिमला-2 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश संरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एव अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट निजी समिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत संरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाच्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

в अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाञ्चल प्रदेश—171001 को उनके पत्र सख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश!

10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह) उप सविव (अम रोजगार एवं विदेशी नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024 dated 23.4, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram (A)4-1/2024

NOTIFICATION Dated Shimla-2, the

23 09. 2024.

#### 1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.c.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month w.e.f. 01.04.2024.

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that entegory.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes
  Areas in Himachal Pradesh.

#### The definition of unskilled will be as under:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.& O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

Jun

23.09, 2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P

5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

## (3)

## GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram (A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

## 2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as under:-

~			***	4
Cat	egory	01	WG	orkers

Revised Wages

Daily	Monthly
121	

1

2 3

UN-SKILLED W	ORKERS:				Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini	Cleaner/	Chowkidar/	Distemperer	Grade-	400	12,000
II/Glazier/Helper	for Plumber	or Workshop/Ro	ck Cutting Lab	our/Stone		
Breaker/Stone	Chisele	r/Sweeper/Spray	man	for		
Bitumen/Pipelinen	nen/Electrica	Coolie/Security	Guard/Beldar	/Cleaner-		
Tractor & Road	Roller &	concrete mixer	/Majdoor /Surv	ey Boy/		
Watchmen/ Tea b	ooy/Peon/Dre	sser/ Oilmen/Gr	easer/ Messhelp	ers/ Boy		
Helper (0 to 5 year	s)/ Khalasi ((	to 3 years)/Bill	Distributors/ Mu	icker		

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery	425	12,750



Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper ( 5 years and above ) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi ( 3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 2372 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2646 per 100 cft.

SKILLED WORKERS:	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/	464
Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/	
Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/	
Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji	
or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/	
Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/	
Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop	
Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel	
Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/	
Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/	
Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/	
Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper	
Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill	
Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice	
Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/	
Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi /	
Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter	
/Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable	
Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi( 8 years to above) /Tracer Operator/	
E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter	
Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work	
Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set	
Operator/Workshop Forman Grade-II.	

Carpenter	for	furnitu	ire	only/	Worksho	op M	echanic	e Grade-
I/Chargeman	Grade	-I/Works	hop	Fo	oreman	Gra	de-I/Tu	ırnerGrade-
I/Mechanic	All	Round	Ope	erator	/Masor	/Mistry	and	Carpenter
Mistry/Struc	tural I	Fitter Gra	de-I/	Survey	or/Draft	sman / /	Assistar	nt Foreman/
Machinist /	Con	ipounder	(Qu	alified	) Road	Roller	Drive	r/Bulldozer
Driver/ Wire	man/	Auto Ele	ctrici	an/Ele	etrician	Chemi	cal Ana	lyser.

(4)

Rupees

13,920

Rupees

553

Rupees

16,590

An

HIGHLY SKILLED

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/	464	13,920
Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill		
Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro		
Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector /		
Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.		

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

Da

(iv)Highly Skilled: — A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh. 93.89.2024

No. Shram (A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh



Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.64, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09, 2024.

#### 3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as under:-

#### General Staff Unskilled

Rs.400 per day, Rs. 12,000 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daffri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

#### Semiskilled

Rs. 415 per day, Rs.12,450 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asst. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asst. Painter
- Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt.Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
- 19. Assistant Molders.



#### SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Rs. 453 per day Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

or Rs. 13,590 per month.



### HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 503 per day or Rs. 15,090

per month.

#### GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

#### Group-A

Out Agent, Out Agen Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Oashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 453 per day or Rs. 13,590 per month.

#### Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs. 477 per day or Rs. 14310 per month.

#### Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs. 562 per day

Rs. 16,860 per month.

RUNNING STAFF	Per Day	Per month
1.Driver	Rs. 508	Rs. 15,240
2.Conductor	Rs. 464	Rs. 13920
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs. 434	Rs. 13020
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 278	Rs. 8340

#### NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adultor nonadult for the same and similar nature of work.

Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

# (9)

#### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09,2024

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

## (10)

#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23 .04.2024.

#### 4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as under:-

Category of employees

Where no benefit is

Where food, tea &

provided

combined accommodation provided

Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Rs.400 Daily Rs 371 Daily

Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/

Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Rs.12000 Monthly. Rs. 11,130 Monthly

Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.

Semi-	Skilled		Rupees	Rupees	
Head	porter,	Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman	Rs.423 Daily.	Rs. 413 Daily	
		er/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman	RS. 12,090 Monthly.	Rs. 12,390 Monthly	

Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/
Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Assit. Lineman /
Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector
/Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/
Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/
Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/
Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/
Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film
Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/



(11)

White Washer/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.464 Daily.	Rs. 427 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/Bar ber/Regular machine man/ machinist/ Welder/Moulder/Cashier/Clerk Matric)Munim/receptionist/	Rs.13,920 Monthly.	Rs. 12,810 Monthly.
Waiter/ Bearer / Storekeeper/ Aeadwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working in the same trade,		
me working in the same made.		

Highly Skilled						Rupees.	Rupees.	
Store K	Ceeper/ Cler	ks (Grac	luates) Account	ant /Head	1 Cashier/	Rs.483 Daily.	Rs. 447 daily	
Head	Cook/	Head	Butler/Head	Baker	Head	Rs.14,490	Rs. 13,410 Monthly	
Confec	tioner/Head	mecl	hanic/ Electr	ician/	Foremen/	Monthly	7.35500000000000000000000000000000000000	
Superv	isor./ Tailor	Cutter (	(Tailoring)					

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i) Unskilled: - An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous



experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23.09.2024

No Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.

5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the Government of Himachal Pradesh





(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 22-24. 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Category of Workers

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

Revised Minimum Wages

Monthly

Daily

#### 5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023:

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

UN	NSKILLED WORKERS				
1	Felling of trees:	Rs. 400	Rs. 12,000		
	I.Lopper (Changi)	Rs. 423	Rs. 12,690		
	2.Feller (Garani)	Rs. 409	Rs. 12,270		
2	Logging and sawing including timber passing:				
	I.Dresser (Panchani)	Rs. 409	Rs. 12,270		
	2.Sawyer (Charani)	Rs. 503	Rs. 15,090		
	3.Blacksmith	Rs. 473	Rs. 14,190		
3	Carriage, stacking and timber passing by manual labour:				
	Mazdoor for carriage	Rs. 409	Rs. 12,270		
	2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs. 409	Rs. 12,270		

### 4 Carriage of timber by Aerial ropeways:

1	c	3	3
1		١	1.
1		U	ч
1		-	Э.
- 1			1

	1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.503	Rs.15,090
	2.Span Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190
5	Carriage by water slide (pucci Nalli), dry sliftoting):	de (Pathru), Nullah Bhaan a	and Darya Bahaan (Riv
	1. Mohri-wala Mistry	Rs. 539	Rs. 16,170
	2. Taru	Rs. 517	Rs.15,510
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 483	Rs. 14,490
	4. Darya-man	Rs. 517	Rs. 15,510
	5. Ghalu	Rs. 440	Rs. 13,200
	6. Jamadar	Rs. 440	Rs. 13,200
6	Mechanised logging and timber extraction:		
	1.Surveyor	Rs. 506	Rs. 15,180
	2.Ski-line Operator	Rs. 473	Rs. 14,190
	3 Truck Driver	Rs. 443	Rs. 13,290
	4. Compressor Driver	Rs. 443	Rs. 13,290
7	Clerical Staff:		
	1.Manager	Rs. 583	Rs. 17,490
	2.Accountant	Rs. 449	Rs. 13,470
	3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 409	Rs. 12,270
	8. Saw Mill Workers:		
	1.Band Saw Mistry		
	2.Supervisor	Rs. 473	Rs. 14,190
	3.Head Mistry	Rs. 467	Rs. 14,010
	4.Boiler Driver	Rs. 473	Rs. 14,190
	5.Assistant Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190
	6.Planner Mistry	Rs. 415	Rs. 12,450
	7.Helper	Rs. 415	Rs. 12,450
	8.Cutter man	Rs. 409	Rs. 12,270

Am

#### 9 Katha Extraction:

1.Feller and Chipper	Rs. 409	Rs. 12,270
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 409	Rs. 12,270

#### Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 553 Daily. Rs. 16,590 Monthly.

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

#### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23.09,2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

15

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh



(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.56, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09, 2024.

#### 6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 400 Daily.
	Rs. 12,000 Monthly.

#### Semi Skilled

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Rs. 413 Daily. Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Rs. 12,390 Monthly. Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.

#### Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Rs. 464 Daily. Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Storekeeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 13,920 Monthly.

Highly Skilled

Rs. 16,590 Monthly.

# (18

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

#### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23.09,2024

#### No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.69, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)



#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

### Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

#### 7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

#### Un-Skilled

Rs. 400 Daily or

Rs. 12,000 Monthly.

#### Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Chemer, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

#### Skilled

Am

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Rs. 464 Daily.

Rs. 413 Daily or

Rs.12,390 Monthly.

Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Rs.13,920 Monthly Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II. Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II,Blacksmith Grade-II. Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II. Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

#### Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Rs. 553 Daily.

Rs.16,590 Monthly.

#### Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 429 Daily.

Rs.12,870 Monthly.

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work,
- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5, 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

#### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi -skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.



- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order.

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024

Copy for information and necessary action to:-

All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.0s.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

Amar Singh

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 22, 20, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)



#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION Dated Shimla-2, the

No. Shram(A)4-1/2024

23.09, 2024.

#### 8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

#### Category of Workers

Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up Rs. 400 Daily or rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;

Rs. 12,000 Monthly.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 29 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 22 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 17 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 29, Rs. 22 Rs. 17 per kilogram for A.B.C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs. 407 per day, Rs. 12210 per month

#### FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor,

Rs. 400 daily

relling room workers, shifting Mazdoor,

Rs. 12,000 Monthly.

Fermenting room workers, tea boys,

#### PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,

Rs. 400 daily

Muharirs etc. who maintain records of a field work

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

Rs. 12,000 Monthly.

and also includes sweeper, Mali & Mate.

OFFICE STAFF:				
1. Accountant R	s. 611	Rs. 18,330 accommodatio	per month	plus fre
2. Clerks R	s. 464	Rs. 13,920 accommodatio		plus fre
3. Munshi R	s. 487	Rs. 14,610 per month plus free benefits as admissible to clerk		
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary R	s. 407	Rs. 12,210 per admissible.	month plus fro	ee benefit a
		Daily	Mon	thly
5. Compounder		Rs. 567	Rs. 1	7010

6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs. 508	Rs. 15,240
7. Mechanic,	Rs. 571	Rs. 17,130
8. Assistant Mechanic	Rs. 506	Rs. 15180
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I	Rs. 571	Rs. 17,130
10.Electrician-cum- Mechanic Grade-II	Rs. 506	Rs. 15180

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

(i)Unskilled: — An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

An

(23)

experience although familiamy with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.



(ii)Semi -skilled: — A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

13-09,2024

Copy for information and necessary action to:-

I. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 22.64,2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)



#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

# 9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-F-II dated 24-04-2023:

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers

Rs. 400 P.D. or Rs. 12,000 per month

Semi-skilled

Rs. 412 P.D. or Rs. 12,360 per month

Skilled & clerical staff

Rs. 464 P.D. or Rs. 13,920 per month

Highly-Skilled

Rs. 553 P.D. or Rs. 16,590 per month

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

Am

(i) Unskilled: — An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- 26
- (ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order.

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.64.2024

Copy for information and necessary action to:-


1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'bie Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- The Director, Labour Bureau, GOI. Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Hamachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

Amar Singh

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh





#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23 00 2024.

#### 10. HOTEL AND RESTAURANTS

Whereas, the Governor, Hunachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 61.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room	Rs. 400 Daily	Rs. 371 Daily
Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 12,000 Monthly	Rs. 11,130 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatinan /	Rs. 423 Daily	Rs. 388
Assistant Baker/ Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant	Rs. 12,690 Monthly	Rs. 11,640 Monthly.
Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant		

An

Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi
Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water
Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter
White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk
(Non-Matric)/ Assistant Store
Keeper/Distributor and Assistant Machinman/
Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI
certificate holder who are working in the other
trade.

#### SKILLED WORKERS:

Rupees.

Rupees.

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Stewar

Rs. 464 Daily

Rs. 427 Daily

d/Butler/Draughtsman/TelephoneOperator/Rece

ptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head

Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) iT1 Rs. 13920 Monthly.

Rs. 12,810 Monthly.

certificate holder who

are working in the same trade.

Highly Skilled

Rupees.

Rupees.

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant

Rs. 483 Daily

Rs. 447

/Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head

Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/

Rs. 14,490 Monthly.

Rs. 13,410 Monthly.

Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)

#### NOTE:-


- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

Any

(ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.



(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004. H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh



(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.64, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

# 30

#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

### Dated Shimla-2, the

23.64.2024.

#### 11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Honachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers

Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month

Semi-skilled

Rs. 423 per day or Rs. 12,690 per month

Skilled

Rs. 464 per day or Rs. 13,920 per month

Highly skilled

Rs. 483 per day or Rs 14,490 per month

#### NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.



(iii)Skilled: — A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv)Highly Skilled: - A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23.09, 2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimta-2, the

Copy for information and necessary action to:-

supervises efficiently the work of skilled employees.

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P

5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govl. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.

9. All the Deputy Commissioners, Himachai Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

# Dated Shimla-2, the

23.69,2024.

## 12. Hydro Pewer Projects

Whereas, the Governor, Himachai Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of 'Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Catalana at Wall

Category of Workers	Minimur	n Wages
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS:	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant	400	12,000
Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator,		

Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator. Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fixter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy. Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant

Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to

Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone



#### SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR 425
Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior
Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader
Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto
Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior
Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard,
Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator
Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant,
Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader,
Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator,
Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter,

Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior (33)

12,750

### SKILLED WORKERS:

Eletrician, Mali

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi.

13,920

464

#### HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer 553

Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator,
Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator,
Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant
Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior
Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto

16,590

Am

Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C. Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).



# NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

#### Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

	Category of Worker	Minimum Rates of Wages	Admissibility of 25% increase in Under- Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas	Total Wages arrived at as per column no. 3+4	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column no. 5	Total admissibility of Minimum Wages
		(per day)	(per day) (Rs.)	(per day)	(per day) (Rs.)	(per day)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
(A)	Unskilled	400	100	500	100	600
(B)	Semi-Skilled	425	106	531	106	637
(C)	Skilled	464	116	580	116	696
(D)	Highly-Skilled	553	138	691	138	829



#### The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-



- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions inade by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

# Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

himera of rimacian riadeon.

23.09.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimia.
- 2. The Addi. LR-cum-Addi. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to "n'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.98.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.69, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)



# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimle-2, the

23.44,2024.

#### 13. PHARMACUUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachel Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticais" Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-	Rs. 413	Rs. 12,390
Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant		
Store Munshi, Complaint Attendant.		
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (1TI Diploma, D Pharma),	Rs. 464	Rs. 13,920
Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts		
Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.		



Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Rs. 553 Rs. 16,590 Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographics.

## NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 37)
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

# The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently supervises efficiently the work of skilled employees.

By order.

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

22.04,2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt, of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Curp Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated \$2.64,2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

## GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09,2024.

Monthly.

## 14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himschal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Hierarchal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY
Boy and Masaichi.	400 Daily	371 Daily
	12,000	11,130
	Monthly.	Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard Operation Theatre Assistant,		387 Daily.
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi,	12690 Monthly	11,610 Monthly.
Complaint Attendant, Ward Boy and	resonanty	
Ward Attendant (0-3 Years Experience)		
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-	464 Daily	427 Daily
Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator,	13.920	12.810

Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, Monthly



CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)



Highly Skilled		•				Rs.	Rs.	
Staff Nurse,	Security	Supervisor,	Senior	Electrician,	Senior	483 Daily.	447 Daily	and to the second
Technician, Se	nior Radio	ographer, Sen	ior Com	pounder. Acc	countant	14,490	13,410	Monthly.
and Stenograph	er					Monthly		

# NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

## The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanks Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23 .69, 2024


No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-



- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hen'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pracesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)







## GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

No. Shram(A)4-1/2024

Category of employees

NOTIFICATION Dated Shimla-2, the

23.64, 2024.

Where no benefit is Where food,

#### 15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Domestic Workers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachai Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

provided	tea & combined accommodati on provided
Rs.	Rs.
400 Daily	338 Daily.
12,000 Monthly.	10,140 Monthly.
Rs =	Rs
423 Daily.	351 Daily,
12,690 Monthly	10,530 Monthly.
Rs.	Rs.
464 Daily.	373 Daily
13,920 Monthly	11,190 Monthly.
	Rs. 400 Daily 12,000 Monthly.  Rs. 423 Daily. 12,690 Monthly  Rs. 464 Daily.

NOTE:-

- (u2
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

## The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

for the same and similar nature of work.

- (i) Unskilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23-e4,2024 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.)



## GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimin-2, the

23.69.2024.

## 16. Safal Karamchari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages		
	Daily	Monthly	
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 400	Rs. 12,000	Nucleo
Semi Skilled			
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper,	Rs. 413	Rs. 12,390	
Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.			
Skilled			
Driver, Mason, Piumber, Storekeeper, Accounts Clerk,	Rs 464	Rs. 13,920	
Computer Operator, Data Entra Operator and Cashier.			
Highly Skilled			
Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer,	Rs. 553	Rs. 16,590	



NOTE:-

- PT.
- adult for the same and similar nature of work.

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-

- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

## The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.64,2024

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimia-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.04. 2024 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.)



#### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

4

NOTHICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09, 2024.

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-It dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled Da	ily	Monthly	
Helper and Watchman	Rs. 400	Rs. 12,000	ESES
Semi skilled			
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.  Skilled	Rs. 413	Rs. 12,390	manyo
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464	Rs. 13,920	
Highly Skilled			
Security Officer, Security Manager,	Rs. 553	Rs. 16,590	

Stenographer and Accountant.

An.

NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than
  the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

# The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Skilled: An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exercion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23.09,2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

The Addl. LR-cum-Addl. Sentary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Cnief Minister, H.P.

- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Calef Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimig-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024



9. All the Deputy Commissioners, Himachal Prodesh. 10. Guard File.



(Amar Singh)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 21.64,2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)



# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT& O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimle-2, the

23.09, 2024.

Rs.

427 Daily

12,810 Monthly

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor. Himauhal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	400 Daily 12,000 Monthly	371 Daily 11,130 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper,	423 Daily 12,690 Monthly	413 Daily 12,390 Monthly
Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.		

Rs.

464 Daily

13,920 Monthly



Skilled:

Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook,

Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,

(lig

Highly Skilled			Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent,	Ragi.	Bajantri. Bhajan Singer,	483 Daily.	447 daily
Stenographer, and Accountar	nt.		14,490 Monthly	13,410 Monthly.

# NOTE:-

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

# The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

23.09, 2024

No. Shram(A)4-1/2624 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-


- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.



- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachai Pradesh.
  8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)







## GOVERNMENT OF RIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

#### NOTIFIC & TION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09, 2024.

## 19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees Minimum Wages
Daily Monthly
Un-skilled Workers:Peon, Office Boy and Masalchi. Rs. 400 Rs. 12,000

#### Semi-skilled:-

Helper Cook, Cash Collector, Assistant Rs. 413 per day or Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant. Rs. 12,390 per month

#### Skilled:-

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,
Computer Operator, Data Entry Operator and
Cashier.

Rs. 464 per day or
Rs. 13,920 per month

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer and Rs. 553 per day or Accountant.

Rs. 16,590 per month

# NOTE:-



- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work
- Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

## The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:- 23.64.2024

- All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon ble Lebour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- The Director, Labour Bureau, GOI, Shin, la-17, 1004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimia-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

(Amar Singh)